रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237963 CG-DL-E-05082022-237963

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3538] No. 3538] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2022

का.आ. 3705(अ).— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के पहले परंतुक के खंड (XIII) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इनके प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें विनिर्दिष्ट करती हैं, अर्थातु :—

- 1. (i) किसी व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 मामले के रूप में पॉजिटिव परीक्षण या नैदानिक रूप से अवधारित होने की तारीख से छह मास के भीतर होनी चाहिए, जिसके लिए परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई धन राशि प्राप्त की गई है;
 - (ii) व्यक्ति के परिवार का सदस्य निम्नलिखित दस्तावेजों का एक अभिलेख रखेगा,--
 - (क) व्यक्ति की कोविड-19 पॉजीटिव रिपोर्ट या चिकित्सा संबंधी रिपोर्ट, यदि नैदानिक रूप से किसी अस्पताल में या आंतरिक रोगी प्रसुविधा में उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा अन्वेषणों के माध्यम से कोविड-19 पोजिटिव होना अवधारित किया गया:
 - (ख) किसी चिकित्सा व्यवसायी या किसी सरकारी सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी कोई चिकित्सा रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाणपत्र, जिसमें यह कथन किया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वाइरस बीमारी (कोविड-19) से संबंधित है।

5349 GI/2022 (1)

- 2. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (x) के पहले परंतुक के खंड (XIII) के प्रयोजनों के लिए कोविड-19 से मृत्यु के कारण मृतक व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृतक व्यक्ति के नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से प्राप्त की गई किसी धन राशि के विवरण को सत्यापित किया जाएगा और प्ररूप-क में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3. किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई रकम का ब्यौरा, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति या तारीख 31.12.2022, जो भी पश्चातवर्ती हो, से नौ मास के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्ररूप–क में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप–क:

क्रम सं.		
1.	नाम:	
2.	पता:	
3.	स्थायी खाता संख्या:	
4.	मृतक व्यक्ति के साथ प्राप्तकर्ता का संबंध:	
5.	कोविड-19 पॉजिटिव होने के निदान का ब्यौरा:	दिन /मास/ वर्ष ;
		क्र.सं. / चिकित्सा रिपोर्ट/परीक्षण रिपोर्ट की आईडी संख्या
6.	कोविड-19 के कारण मृत्यु का ब्यौरा और किसी चिकित्सा व्यवसायी या	दिन /मिमी/ वर्ष ;
	किसी सरकारी सिविल रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी कोई चिकित्सा रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाणपत्र, जिसमें यह कथन किया गया है कि व्यक्ति की	
	मृत्यु कोरोना वाइरस बीमारी (कोविड-19) से संबंधित है:	चिकित्सा रिपोर्ट का क्रमांक / आईडी नंबर
7.	(क) मृतक के नियोजक से:	
	(ख) अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से:	
	प्राप्त रकम :	
8.	मृतक के नियोजक का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या:	
9.	पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें रकम प्राप्त हुई है:	
10.	नियोजक से प्राप्त रकम:	(रुपये में)
11.	अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, पता और स्थायी खाता संख्या:	
12.	पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें रकम प्राप्त हुई है:	
13.	अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों से प्राप्त रकम:	(रुपये में)
14.	प्राप्त कुल रकम (11+13)	(रुपये में)

घोषणा	
म ैं ,	(नाम पूर्ण और बड़े
अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी	घोषणा करता हूं कि:
मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त स्तंभ में जो कुछ र्भ	ी कथन किया गया है, जिसमें, कथन के समर्थन में
संलग्न दस्तावेज़ भी शामिल हैं, सही और पूर्ण है।	

मैं यह और घोषणा करता हूं कि पूर्ववर्ती वर्ष मास/दिन/वर्ष के दौरान मेरे द्वार	ा प्राप्त	की गई	कुल	रकम	पूरी	तरह	से
कोविड-19 के कारण मेरे परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण हैं।							

स्थान:

तारीख:

	भवदीय
हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	

4. इस अधिसूचना को 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी माना जाएगा और निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 92/2022/फा. सं. 370142/31/2022-टीपीएल(भाग-2)]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव, कर नीति और विधान प्रभाग

टिप्पण: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देकर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2022

- **S.O.** 3705(E).— In exercise of the powers conferred by clause (XIII) of the first proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following conditions, namely:-
 - 1. (i) the death of the individual should be within six months from the date of testing positive or from the date of being clinically determined as a COVID-19 case, for which any sum of money has been received by the member of the family;
 - (ii) the family member of the individual shall keep a record of the following documents, -
 - (a) the COVID-19 positive report of the individual, or medical report if clinically determined to be COVID-19 positive through investigations in a hospital or an inpatient facility by a treating physician;
 - (b) a medical report or death certificate issued by a medical practitioner or a Government civil registration office, in which it is stated that death of the person is related to corona virus disease (COVID-19).
- 2. Statement of any sum of money received by a member of the family of a deceased person from the employer of the deceased person or from any other person or persons, on account of death due to COVID-19 for the purposes of clause (XIII) of the first proviso to clause (x) of subsection (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 shall be verified and furnished in Form A.

3. The details of the amount received in any financial year shall be furnished in Form A to the Assessing Officer within nine months from the end of such financial year or 31.12.2022 whichever is later.

Form A:

S. No.		
1.	Name:	
2.	Address:	
3.	Permanent account number:	
4.	Relationship of the recipient with the deceased person:	
5.	Details of diagnosis of being positive for COVID-19	Dd/mm/yyyy; S.No./ Id No. of the medical report/ test report
6.	Details of death due to COVID-19 and a medical report or death certificate issued by a medical practitioner or a Government civil registration office, in which it is stated that death is related to corona virus disease (COVID-19):	33337
7.	Amount received- (a) from the employer of the deceased: (b) from other person or persons:	
8.	Name, address and PAN of the employer of the deceased:	
9.	Previous year in which the amount has been received:	
10.	Amount received from the employer:	(In Rs)
11.	Name, address and PAN of the other person/persons:	
12.	Previous year in which the amount has been received:	
13.	Amount received from other person/ persons:	(In Rs)
14.	Total amount received (11+13)	(In Rs)

Declaration

I,	(Name in full
and in block letters) son/daughter/wife of	do
hereby declare that:	

To the best of my knowledge and belief whatever is stated in the above columns including the documents attached supporting the statement is correct and complete.

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

I further declare that during the previous year solely on account of death of my family member du	
Place:	
Date:	
	Yours faithfully,
	Signature
	Name
	Designation
4. This notification shall be deemed to have conshall apply in relation to the assessment year 2020-	ne into force from the 1st day of April, 2020 and -2021 and subsequent assessment years.

[Notification No. 92/2022/ F. No. 370142/31/2022-TPL (Part-2)]

UMME FARDINA ADIL, Under Secy., Tax Policy and Legislation Division

Note: It is certified that no person is being adversely affected by granting retrospective effect to this notification